पत्रांक–12 / अ.6–~~42~~/ 2010 1934 /

झारखंड–सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र–2, कम्यूनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, विकास मार्ग,
नई दिल्ली–110092

रांची, दिनांक 22/7/2011 /

विषयः– **महर्षि मँही विद्यापीठ, लोहारडीह, कोला कुसमा, धनबाद को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्वता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, महर्षि मँही विद्यापीठ, लोहारडीह, कोला कुसमा, धनबाद से प्राप्त आवेदन (छायाप्रति संलग्न) पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्वता हेतु मात्र सैद्वान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है। सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व बोर्ड अपनी मानक शर्तो को पूरा करने के संबंध में संतुष्ट हो लेगा। राज्य सरकार में अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तें निर्धारित करने की कार्रवाई प्रकियाधीन है।

अतएव, यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा जो सामान्य निदेश लागू किया जायेगा वह इस विद्यालय प्रबंधन को मान्य होगा। साथ हीं यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरांत विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्त / सिद्वान्त की अवेहलना / उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त संबंधित विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए सी0बी0एस0ई0 को अपनी मान्यता समाप्त करने हेतु ससूचित कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक–यथोपरि।

(हस्ताक्षर) 21/7/11
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक–12 / अ.6–42 / 2010 1934 / रांची, दिनांक 22/7/2011 /

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमडल, हजारीबाग / जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद / सचिव, महर्षि मँही विद्यापीठ, लोहारडीह, कोला कुसमा, धनबाद / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/7/11
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।